

कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक

विज्ञापित

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं के चयन को होना निश्चित हुआ है। जिसके लिये शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	पद का नाम	शिक्षुओं के रिक्त पद
1	MMV	10
2	D.Mech.	08
3	Turner	01
4	Elect.	10
5	Painter	01
6	Carpenter	02
7	Welder	02
8	TRF/Fitter	08
9	Plumber	01
10	Black Smith/ Sheet Metal worker	03
11	Stenographer (Hindi)	01
	Total	47

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेज सहित महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक (नया बस अड्डा रोहतक) के कार्यालय में आयेंगे। जहां उनके मूल दस्तावेज चेक किये जाएंगे। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 09.01.2026 से 15.01.2026 तक ऑनलाईन करवा सकते हैं। दिनांक 09.01.2026 से पहले व दिनांक 15.01.2026 को रात्री 12 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। सफल शिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० के मार्कशीट की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रशिक्षुओं को दस्तावेजों को चेक करने हेतु दिनांक 19.01.2026 को रोहतक आगार की कर्मशाला में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज चेक करने उपरान्त सूची अनुसार चयनित रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध सफल प्रार्थियों को यथाशीघ्र शिक्षुता हेतु लगा लिया जाएगा। (www.apprenticeshipindia.org)

-Sd- महाप्रबन्धक,

हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक

पीआरडीएच-1119/11/778/2026/41777/88/6 दि. 06.01.26